न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अग्रवाल समाज सेवा संस्थान, आबूपर्वत जरिये अध्यक्ष पियूष गोयल पुत्र लादूराम गोयल, निवासी सदर बाजार, आबूपर्वत, तहसील देलदर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 10/2025

दिनांक 18.9.2025

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ढुंढाई, आबूपर्वत , तहसील देलदर , जिला सिरोही में खसरा नंबर 171,172,173,196 क्षेत्रफल 0.1770 हैक्टेयर स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। यह कि राजस्व मानचित्र 1967–68 में मौजा ढुंढाई के खसरा नंबर 173 रकबा 0.0379 हैक्टेयर स्पष्ट रूप में दर्शित है। यह कि राजस्व रेकार्ड कम्पयूटराईजड़ करने के दौरान वर्तमान राजस्व मानचित्र में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजस्व मानचित्र में गलती से खसरा नंबर 173 को मानचित्र में दर्शित नही किया गया है। जबकि राजस्व मानचित्र 1967–68 में खसरा नंबर 173 दर्शित है। यह कि प्रार्थी राजस्व मानचित्र कम्पयूटराईजड़ करने के दौरान राजस्व मानचित्र में गलती से खसरा नंबर 173 को दर्शित नही करने से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी सुधार करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रस्तुत है। स्टेट का जवाब प्राप्त। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया तथा पाया कि पूर्व में तहसीलदार देलदर के पत्रांक 594 दिनांक 02.07.2024 द्वारा भी शुद्धि हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं तहसीलदार देलदर के पत्रांक 583 दिनांक 16.09.2025 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार नक्शे के सेमीग्रेशन एवं नक्शे में इन्द्राज के वक्त नम्बर अंदाजी में त्रुटिया हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि मूल बंदोबस्त के नक्शे अनुसार नंबर दर्ज हो व किसी भी खातेदार के जमाबंदी व नक्शे में कोई अंतर नही हो व किसी अन्य खातेदार का हित प्रभावित नही हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18/9/20.. को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.11.06 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी)
आबूपर्वत

उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत (सिरोही)